सितम्बर, 1973 तक आयात लाइसेंसों का बम्बई में दुरुपयोग करने वाली फर्मों का दण्डित किया जाना

1834. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1973 के अन्त तक बम्बई आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने पर कुल कितने फर्मों के मालिकों को दण्डित किया गया है और उनके नाम क्या क्या है ; और

(ख) आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिका संख्या LT5787/73]

(ख) जिन मामलों के सम्बन्ध में अभियोग चलाया जा चुका है, उनके सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी । इम्पेक्स अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के दुरूपयोग को रोकने के लिये पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं । उद्योग निदेशकों, तकनीकी विकास के महा-निदेशालय आदि जैसे प्रयोजक प्राधिकरण हैं जो आयात लाइसेंसों के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखते हैं । जब भी कभी किसी व्यक्ति द्वारा आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के मामले प्राधिकारियों की जानकारी में आते हैं तो अपराधों की गम्भीरता पर निर्भर करते हुए उसके खिलाफ या तो विभागीय कार्यवाही करके या अभियोग चलाकर समुचित कार्यवाही की जाती है ।

Smuggled Goods Seized in Gujarat

1835. SHRI ARVIND M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of smugglers arrested in Gujarat State during the year 1972-73; and

(b) the total value of smuggled goods seized?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): (a) 80 smugglers were arrested in Gujarat State during 1972-73.

(b) The total value of smuggled goods seized in Gujarat State during 1972-73 is Rs. 2.75 crores.

Powerlooms sanctioned in Fourth Five Year Plan

1836. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total number of powerlooms sanctioned during the Fourth Five Year Plan period, State-wise;

(b) whether the demand for 7000 powerlooms for Rajasthan is pending consideration with the Government of India for a long time; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): (a) A statement is attached.

(b) Yes, Sir.

(c) A decision will be possible only in the light of the policy to be adopted for expansion of the powerloom sector if necessary during the Fifth Plan period. This policy is still under consideration.